तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टीए/1910/2004/हनुमानगढ</u>** **रजाकखां व अन्य बनाम अतिरिक्त कलेक्टर एवं सचिव मण्डी विकास समिति हनुमानगढ व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

<u>एकल–पीठ</u>
श्री धूकलराम कसवॉ, सदस्य

उपस्थितः–
(1) श्री श्रीनिवास वेनीवाल अधिवक्ता प्रार्थी
(2) श्री दुनीचन्द व श्री अमृतपाल सिंह, अधिवक्ता अप्रार्थी

<u>निर्णय</u> **<u>दिनांक :</u>**

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी नोहर के आदेश दिनांक 23–3–04 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। आक्षेपित आदेश के द्वारा प्रार्थी प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी खारिज किया गया है।

2– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस निगरानी पर सुनी।

3– प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि वादी वादग्रस्त आराजी का खातेदार काश्तकार नहीं है। इसलिये उसके द्वारा प्रस्तुत वाद जो अधिनियम की धारा 88 एवं 188 के तहत है, राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं है। प्रतिवादीगण प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि न तो अवाप्त की गई न ही प्रार्थीगण को अवाप्ति आदेश के बाद अन्य कोई भूमि आवंटन की गई। प्रार्थीगण जो वादग्रस्त आराजी के खातेदार है जिनकी खातेदारी की भूमि बाबत वादी को वाद प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। वादी स्वयं विवादित भूमि को नगरपालिका क्षेत्र की आवादी भूमि में होना मानकर तथा विवादित भूमि में आवास भवन निर्मित किया जाना व अन्य कार्यालयों को भूमि नीलामी में दिये जाने के आधार पर वाद लाया है जबकि आवासीय प्रयोजनार्थ भूमि बाबत वाद राजस्व न्यायालय को सुनने का अधिकार नहीं है तथा जो दादरसी वादी ने वाद के जरिये चाही है वह प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इसलिये निगरानी स्वीकार की जाकर आक्षेपित आदेश निरस्त किया जावे

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टीए/1910/2004/हनुमानगढ</u>** **रजाकखां व अन्य बनाम अतिरिक्त कलेक्टर एवं सचिव मण्डी विकास समिति हनुमानगढ व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एवं प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादी का वाद खारिज किया जावे।

4. जबाब में अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि मण्डी विभाग विवादित भूमि का खातेदार है तथा प्रतिवादीगण को तबादला में भूमि देकर प्राप्त की गई है। प्रतिवादीगण ने दोनों भूमियों में अपना नाम दर्ज करा रखा है जिसे वह दुरूस्त कराने का अधिकारी है और उक्त वाद राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है। इसलिये निगरानी खारिज किये जाने योग्य है।

5. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. प्रश्नगत प्रकरण व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 7 नियम 11 से सम्बन्धित है। जिसके प्रावधान निम्न प्रकार है :–

> Rejection of plaint - The plaint shall be rejected in the following cases :-
>
> (a) where it does not disclose a cause of action;
>
> (b) where the relief claimed is undervalued, and the plaintiff, on being required by the Court to correct the valuation within a time to be fixed by the Court, fails to do so;
>
> (c) where the relied claimed is properly valued, but the plaint is written upon paper insufficiently stamped, and the plaintiff, on being required by the Court to supply the requisite stamp-paper within a time to be fixed by the Court, fails to do so;
>
> (d) where the suit appears from the statement in the plaint to be barred by any law:

7– आदेश 7 नियम 11 के उपरोक्त सुसंगत प्रावधानों के अवलोकन के अनुसार वाद में वाद हेतुक नहीं होने की स्थिति में या वाद किसी विधि द्वारा वर्जित होने की स्थिति में ही इन प्रावधानों के तहत वाद को खारिज किया जा सकता है, विभिन्न न्यायालयों ने अपने

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टीए/1910/2004/हनुमानगढ</u>** **रजाकखां व अन्य बनाम अतिरिक्त कलेक्टर एवं सचिव मण्डी विकास समिति हनुमानगढ व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

निर्णयों में यह भी प्रतिपादित किया है कि यदि किसी बिन्दु को सिद्ध करने के लिए किसी दस्तावेजी साक्ष्य या मौखिक साक्ष्य की आवश्यकता हो तो उस बिन्दु पर आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के तहत वाद पत्र नामंजूर नहीं किया जा सकता है। जो बिन्दु प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जाब्ता दीवानी में उठाये गये हैं, इन बिन्दुओं का निस्तारण दावा एवं जबाब दावे के आधार पर तनकीयात कायम कर साक्ष्य के द्वारा ही किया जा सकता है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में ऐसी कोई कमी अथवा अनियमिता यथा (क) वाद हेतुक को प्रकट नहीं किया गया हो, (ख) अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया हो, (ग) वाद पत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्रों पर लिखा गया हो, (घ) वाद किसी विधि द्वारा वर्जित हो, (ड.) वादपत्र डुप्लीकेट में प्रस्तुत नहीं करना अथवा (च) नियम 9 की अनुपालना नहीं की गयी हो तथा ना ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण–प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज अथवा साक्ष्य ही प्रस्तुत की गई है, जिससे वाद विधि द्वारा वर्जित होना प्रतीत होता हो।

8– आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के प्रार्थना पत्र को निर्णित करते समय न्यायालय को केवल वाद पत्र में अंकित तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र को तय करना होता है न कि पक्षकारों के द्वारा प्रस्तुत जबाब दावे या अन्य साक्ष्य के आधार पर। सी.पी.सी. की प्राथमिक आपत्ति के आधार पर सम्पूर्ण वादपत्र को खारिज किया जाना नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। वैसे भी निगरानी का स्कोप अत्यन्त सीमित होता है और जहॉ अधीनस्थ न्यायालय के स्तर पर आदेश पारित करने में किसी प्रकार की तात्विक अनियमितता की गई हो अथवा क्षेत्राधिकार संबंधी कोई त्रुटि कर, क्षेत्राधिकार का दुरुपयोग किया हो, उसी स्थिति में निगरानीधीन आदेश में हस्तक्षेप श्रेयस्कर होता है, जबकि हस्तगत प्रकरण में ऐसा कोई तथ्य नहीं पाया जाता है। प्रकरण में अभी तक जबाब दावा प्रस्तुत नहीं किया गया है। जबाब दावा पेश होने पर दावा एवं जबाब दावा के आधार पर तनकीयात कायम कर पक्षकारों को शहादत साक्ष्य का अवसर प्रदान कर पक्षकारान को सुना जाकर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टीए/1910/2004/हनुमानगढ</u>** **रजाकखां व अन्य बनाम अतिरिक्त कलेक्टर एवं सचिव मण्डी विकास समिति हनुमानगढ व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

उनके द्वारा प्रस्तुत शहादत साक्ष्य व सबूत के अनुसार निर्णय किया जाना है। इसलिये निगरानी के माध्यम से आक्षेपित आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, निगरानी सारहीन होने से खारिज योग्य प्रतीत होती है।

9– अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है। उभय पक्षकारान को विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 16–7–2018को उपस्थित रहने के लिये जरिये अभिभाषक पाबन्द किया जाता है। मूल वाद वर्ष 1998 से लम्बित है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वह प्रकरण में दिन प्रतिदिन की तारीख पेशी नियत कर उभय पक्षकारान को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रकरण का अधिकतम छ माह के अन्दर विधि अनुसार निस्तारण करें।

पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धूकलराम कसवाँ)
सदस्य